राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य अभिन्यता,भू जल विभाग, जोधपुर

कमांक:-एफ.12( )स्था/भूजल/2019/224 जोधपुर, दिनांक:- 2/5/19

-:: परिपत्र ::-

प्राय: यह देखा जाता है कि राजसेवक अपने कर्तव्य का निर्वाह सन्तोषजनक तरीके से नहीं करते है, जिसके कारण सरकारी कार्यालयों में व्यवस्था बनाये रखना कठिन होता है। राजस्थान सिविल सेवाऐ (आचरण) नियम-1971 में नियम-3 में स्पष्ट प्रावधान है कि:-

1. प्रत्येक सरकारी कर्मचारी हर समय-(I) पूर्ण सत्यनिष्ठा (ईमानदारी) रखेगा। और (II) कर्तव्यनिष्ठा तथा कार्यालय की गरिमा बनाये रखेगा।
2. (I) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो पर्यवेक्षीय पद धारण करता है, उस समय अपने नियंत्रण व अधिकारी के अधीन समस्त सरकारी कर्मचारियों की ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठा की सुनिश्चिता के लिए हर सम्भव कदम उठायेगा।

   (ii) अपने कार्यालय के कर्तव्यों के पालन में या उसमें निहित शक्तियों के प्रयोग में कोई सरकारी कर्मचारी अपने श्रेष्ठ निर्णय के विपरित कोई कार्य नहीं करेगा, सिवाय जबकि वह किसी निर्देश के अधीन कार्य कर रहा हो।

अत: राजस्थान सिविल सेवाऐ (आचरण) नियम-1971 के नियम-3 के अन्तर्गत किसी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के सामाजिक स्तर या पदवी के लिए अपेक्षित व्यवहार के विपरित आचरण दुराचरण माना जायेगा। पद धारण करने के विपरित, असभ्य, अनुचित, अनुपयुक्त व्यवहार दुराचरण है। सरकारी पद की गरिमा बनाये रखने के लिए अनुशासन आवश्यक है। और यह भी आवश्यक है कि अधीनस्थ कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर मिथ्या आरोप लगाने की छुट नहीं दी जा सकती है। उपरोक्त आदेशों की अवहेलना **राजस्थान सिविल सेवाऐ** (आचरण) नियम-1971 के अन्तर्गत दुराचरण की परिभाषा में आता है। यदि अधिकारी/कर्मचारी उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ **राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)** नियम-1958 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

उक्त निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावें।

(सूरजभान सिंह)
मुख्य अभियन्ता,
भू जल विभाग,जोधपुर

कमांक:-एफ.12( )स्था/भूजल/2019/224 जोधपुर, दिनांक:- 2/5/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. श्रीमान् निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव,भू जल विभाग,शासन सचिवालय, जयपुर
2. श्रीमान वरिष्ठ शासन उप सचिव भू जल विभाग, शासन सचिवालय जयपुर
3. तकनिकी सहायक प्रथम/द्वितीय, कृते मुख्य अभियन्ता, भू जल विभाग, जोधपुर
4. समस्त कार्यालयाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी, भू जल विभाग, ... को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों से उपरोक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें।
5. नोडल अधिकारी (वैबसाईट) एवं वरिष्ठ भू जल वैज्ञानिक (DSPC), भू जल विभाग, जोधपुर को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. नोटिस बोर्ड, मुख्यालय।
7. समस्त शाखा प्रभारी, (मुख्यालय)।
8. रक्षित पत्रावली।

मुख्य अभियन्ता,
भू जल विभाग,जोधपुर